

## सेवामें, जन्म-मृत्यु के प्रमाण-पत्र में संशोधन करने हेतु आवेदन-पत्र

श्रीमान् रजिस्ट्रार,  
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण  
जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

विषय :- जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु।

1. आवेदक का नाम, पता व फोन नं. ....
2. शिशु/मृतक के साथ संबंध : .....
3. शिशु/मृतक का नाम .....
4. माता का नाम : .....
5. पिता/पति का नाम .....
6. जन्म/मृत्यु की दिनांक : .....
7. जन्म/मृत्यु स्थान .....
8. रजिस्ट्रेशन संख्या/दिनांक : .....
9. प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किया जाना है:-

क्र.सं.	जारी प्रमाण-पत्र में अंकित	संशोधन कर अंकित करना

(क्र.सं. 2,3,6,7 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

10. वांछित प्रतियों की संख्या हिन्दी ..... अंग्रेजी .....
11. जमा राशि ..... दिनांक .....

संलग्न किये गये दस्तावेज :-

1. .... 2. .... 3. ....

विशेष :-

1. प्रमाण पत्र में संशोधन लिपिकीय भूल (Clerical Mistake) का ही होगा। 2. नाम, जन्म या मृत्यु की दिनांक में संशोधन नहीं किया जावेगा।
3. संस्थागत घटना में सम्बन्धित अस्पताल का संशोधन हेतु पत्र संलग्न करना होगा। 4. शपथ-पत्र पंजीकृत घटना में पूर्व में दिये गये शपथ-पत्र के शपथकर्ता द्वारा ही आवेदन करना होगा। मूल आवेदनक के मृत्यु होने पर निकटतम सम्बन्धी का शपथ-पत्र व आवेदन स्वीकार होगा।
5. आज्ञा-पत्र द्वारा पंजीकृत घटना में संशोधन आज्ञा-पत्र जारी कर्ता के संशोधन आदेश प्राप्त होने पर संशोधन किया जायेगा।
6. संशोधन प्रमाण-पत्र हेतु 10/- रुपये प्रत्येक प्रति शुल्क जमा करना होगा। 7. संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य है।
  - i. जारी किये प्रमाण-पत्र की मूल एवं अतिरिक्त प्रतियां ii. उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु पत्र/आज्ञा-पत्र।
  - iii. आवेदक को नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ-पत्र जिसमें यह भी अंकित हो कि सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, इनका उपयोग नहीं किया गया है, दी गई जानकारी के किसी भी समय असत्य सिद्ध होने पर आवेदक विधिकरूप से उत्तरदायी होगा।
  - iv. दो राजपत्रित अधिकारियों से संशोधन का सत्यापन करवा कर पत्र संलग्न करना।
  - v. जन्म/मृत्यु के जिस मद में संशोधन करना है उसके प्रमाण के रूप में आवश्यकतानुसार दस्तावेज संलग्न करना।
  - vi. मूल प्रमाण-पत्र गुम होने पर एफ.अआई.आर. की प्रति/शपथ-पत्र संलग्न करना।
  - vii. प्रमाणित दस्तावेज, लाईसेन्स, राशन-कार्ड, परिचय-पत्र, पेन-कार्ड, पासपोर्ट, उच्च शैक्षणिक/बोर्ड के दस्तावेज स्वीकार होंगे।
  - viii. रजिस्ट्रार प्रस्तुत दस्तावेज की जांच करवा सकता है।
  - ix. समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी सन्तुष्ट होने पर ही संशोधन करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित है।

आवेदक हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु (आवेदक नहीं भरेंगे)

आवेदक श्री ..... द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र में निम्न संशोधन कराने के लिये वांछित निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं:-

1. ....
2. ....
3. ....

नगर निगम में दर्ज करने हेतु पूर्व में प्रस्तुत मूल आवेदन आदि संलग्न कर संशोधन करने के आदेश हेतु प्रस्तुत है।

संशोधन किया जाये।

लिपिक

रजिस्ट्रार  
जोधपुर नगर निगम